न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–150/2026

CNR No.UPRP010005752026

(पंजीयन सं० 270/2026)

मौ०राशिद पुत्र मोहम्मद हनीफ, निवासी ग्राम बिजारखाता, थाना स्वार जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

धारा–69, 115(2), 352,
351(2) बी०एन०एस०
थाना–स्वार, जिला रामपुर।
अ०सं० 14/2026
वाद सं० 75/2026

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी मौ०राशिद की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता अमीर अहमद ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी दिनांक 19–01–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त /प्रार्थी को रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ कोई गलत काम नहीं किया है और न ही शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए हैं। वादिनी मुकदमा पूर्व से शादीशुदा है, जिससे घटना पूर्णतया संदिग्ध, फर्जी एवं झूठी प्रतीत होती है। वादिनी मुकदमा ने तहरीर में बताया है कि वह एक विधवा महिला है और उसके पति की मृत्यु को 12 वर्ष बीत हो चुके है। वादिनी मुकदमा ने अपने पति की मृत्यु के एक वर्ष बाद ही अपने पति के बड़े भाई नईम के साथ निकाह कर लिया था और आज भी उसी के साथ पत्नी की हैसियत से जीवन यापन कर रही है। वादिनी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस० में विरोधाभास है। पीड़िता ने अपने पति नईम के नाम तथा स्वंय के शादीशुदा महिला होने की बात को छिपाया है और मृतक पति का जिक्र करते हुए अपने आपको विधवा बताया है, जिस कारण पूरी घटना संदिग्ध, फर्जी व झूठी है। वादिनी मुकदमा का पति बीमार चल रहा है, जिसके चलते उसके द्वारा 65 हजार रूपये अभियुक्त/प्रार्थी से उधार लिये थे। अभियुक्त/प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा व उसके पति

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.12 19:27:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नईम से कई बार अपने दिये हुए रूपये वापस मांगे,परन्तु वादिनी मुकदमा व उसका पति टाल–मटोल कर देते थे। अभियुक्त/प्रार्थी ने दिनांक 5–12–2025 को आखिरी बार वादिनी मुकदमा व उसके पति से अपने रूपये वापस मांगे,तब उनके द्वारा मारपीट व गाली–गलौज की गई और रूपये देने से इन्कार कर दिया। अभियुक्त/प्रार्थी का वादिनी मुकदमा के साथ कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 12 दिन के विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने अभियोजित अपराध नहीं किया है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा कथित पीड़िता को विवाह का कोई वचन नहीं दिया गया है और न ही विवाह के वचन के आधार पर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये गये है। उनका तर्क है कि कथित पीड़िता ने अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा पांच वर्ष तक शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने के कथन किये है,किन्तु पीड़िता के विवेचनागत साक्ष्य में अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का कोई दिनांक,समय व स्थान का उल्लेख नहीं है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी व कथित पीड़िता के संसर्ग से उत्पन्न कथित बच्ची के सम्बन्ध में कोई डी०एन०ए० आख्या दौरान विवेचना संकलित नहीं हुआ है और आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसलिए अभियुक्त/प्रार्थी व कथित पीड़िता के संसर्ग से उत्पन्न कथित बच्ची का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। उनका तर्क है कि दौरान विवेचना इस तथ्य का साक्ष्य भी संकलित हुआ है कि कथित पीड़िता पहले नईम नामक व्यक्ति की विवाहिता थी। इसलिए अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से पीड़िता को विवाह के वचन के आधार पर कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता था। उनका तर्क है कि कथित पीड़िता अभियुक्त/प्रार्थी से विवाह करने की इच्छा रखती थी,इसलिए उसके द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन० एस०एस० में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शादी कर लेने पर उपरोक्त मुकदमा वापस लेने के कथन किये गये है। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अपने पहले विवाह के तथ्य को छिपाते हुए उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया है और कथित पीड़िता द्वारा अपनी बच्ची को पैसे के लालच में किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है,क्योंकि पीड़िता का पति नईम बच्ची का पालन–पोषण करने में आर्थिक रूप से अक्षम था। उनका तर्क है कि पीड़िता की कथित बच्ची के पालक के विवेचनागत कथनों में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि पीड़िता ने स्वंय अपने पहले दो बच्चे होने के आधार पर अपनी पुत्री के पालन–पोषण करने में अक्षमता प्रकट करते हुए उपरोक्त बच्ची को विवेचना में आये पालकों को दिया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा पांच वर्ष तक निरन्तर पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का कथन किया गया है,किन्तु पीड़िता की ओर से इन पांच वर्ष में कोई शिकायत न करना और पीड़ता का कथित रूप से बालिग होना इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा पीड़िता को विवाह का कोई वचन नहीं दिया गया था और न ही ऐसे किसी वचन के आधार पर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुए है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) व वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार दिवाकर ने संयुक्त रूप से उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा पीड़िता व उसके संसर्ग से उत्पन्न बच्ची को अमनदीप को लालच के अधीन खरीद–फरोख्त कर दिया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा विवाह/निकाह करने का वचन देकर पीड़िता के साथ 5 वर्ष तक शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये गये है, जिससे उक्त बच्ची का जन्म हुआ है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादिया/पीड़िता श्रीमती गुलशन जहाँ की ओर से दिनांक 09–01–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि वादिनी मुकदमा के पति की मृत्यु 12 वर्ष हो चुकी है। वादिनी मुकदमा विधवा महिला है। करीब 5 वर्ष पूर्व राशिद पुत्र हनीफ मिस्त्री ने वादिनी मुकदमा को अपने झांसे में फंसाकर उससे शादी करने का वायदा करके वादिनी मुकदमा के साथ बलात्कार किया और पिछले 5 वर्षों से उक्त राशिद वादिनी मुकदमा से शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता चला आ रहा है। वादिनी मुकदमा अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने से गर्भवती हो गई है और उसकी डिलीवरी कराने के लिए अभियुक्त करीब 3 वर्ष पहले मुल्जिम राशिद वादिनी मुकदमा को काशीपुर किसी अस्पताल में ले गया, जहाँ पर उसके एक बच्ची पैदा हुई। मुल्जिम राशिद ने वादिनी मुकदमा से पैदा हुई पुत्री से अभी तक तीन महीने से नहीं मिलने दिया है।वादिनी मुकदमा को पता चला है कि मुल्जिम राशिद, उसके पिता हनीफ मिस्त्री भाई वाशित, आरिफ, दोस्त नाजिम, सुभान व उसके बहनोई ने वादिनी की पुत्री को किसी को बेच दिया है। वादिनी मुकदमा के बार–बार पूछने पर भी राशिद वादिनी मुकदमा की पुत्री का पता नहीं दे रहा है। जब वादिनी मुकदमा ने इसकी शिकायत उक्त मुल्जिमान से की, तो उक्त लोगों ने दिनांक 29–12–2025 को समय करीब तीन बजे वादिनी मुकदमा को गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए लात–घूंसों से मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी।

अभियुक्त/प्रार्थी व पीड़िता के कथित संसर्ग से उत्पन्न बालिका के डी०एन० ए० का कोई साक्ष्य दौरान विवेचना प्रकट नहीं हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से निरन्तर पांच वर्ष तक पीड़िता के साथ विवाह के वचन के आधार पर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने के किसी स्थान व समय का कोई स्पष्ट साक्ष्य विवेचना में संकलित नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने हेतु दिये गये विवाह/निकाह के प्रवंचनापूर्ण या भ्रम कारक वचन का साक्ष्य विवेचना में प्रकट नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा अपनी पहचान छुपाये जाने का भी कोई साक्ष्य प्रकट नहीं है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन० एस० एस० में उसकी क्षुब्धता अभियुक्त/प्रार्थी के परिजनों द्वारा मारपीट किये जाने से उत्पन्न होना दर्शित है। पीड़िता के साथ मारपीट का कोई चिकित्सीय साक्ष्य दौरान

विवेचना संकलित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत होना प्रकट है। कथित पीड़िता ने अपने विवेचनागत कथनों में चोटों का चिकित्सीय परीक्षण न कराये जाने का कथन किया है। कथित पीड़िता का अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति से पूर्व में विवाहित होने के तथ्य का साक्ष्य भी दौरान विवेचना संकलित हुआ है। अभियुक्त/ प्रार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य,परिस्थितियों एवं दौरान अन्वेषण विवेचना में संकलित साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त/प्रार्थी को रू.1,00,000/–का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू–पत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल किए जाने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 12–03–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545